

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४१४] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर १७, १९७०/कार्तिक २६, १८९२

No. 414] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 1970/KARTIKA 26, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सक ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th November 1970

S.O. 3761.—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby exempt all non transferable specific delivery contracts entered into by the Central Government or a State Government, or by any person duly appointed in that behalf by them for the purchase or sale of groundnut oil from the operation of section 15 of the said Act in the whole of India.

[No. F. 10(23)-I.T./70.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(आन्तरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, १७ नवम्बर, १९७०

क्रा० आ० ३७६१—अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५२ (१९५२ का ७४)
की धारा २७ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा केन्द्रीय सरकार या

(1841)

राज्य सरकार द्वारा या उनके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति द्वारा [मूंगफली के तेल के क्रय या विक्रय के लिए किए गए सभी अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्दिष्ट परिधान संविदाओं को उक्त अधिनियम की धारा 15 के प्रवर्तन में सम्पूर्ण भारत में छूट देती है।

(फा० सं० 10(23)-आई० टी०/70.]

भार० के० तलवार

संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

(Deptt. of Industrial Development)

New Delhi, the 17th November 1970

80. 3762/IDRA/15/70—Whereas the Central Government is of opinion that there is likely to be a substantial fall in the volume of production in respect of sugar manufactured in the industrial undertaking known as Messrs Raza Buland Sugar Factory, Rampur, for which, having regard to the economic conditions prevailing in the country, there is no justification;

And whereas the Central Government is further of the opinion that the said industrial undertaking is being managed in a manner highly detrimental to the sugar industry and to public interest:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (development and regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of the following persons, namely:—

- (1) Shri P. K. Ray, Assistant Director, National Sugar Institute, Kanpur—Convenor.
- (2) Shri P. R. Biswas, Cost Accounts Officer, Sugar and Vanaspathi Directorate, New Delhi—Member.
- (3) Shri G. P. Seth, Acting Cane Commissioner, Government of U.P.—Member.

[No. F. 9(26)/Lic. Pol./70.]

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1970

का० आ० 3762/आई० टी० आर ए/15/70:—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि औद्योगिक उपक्रम, जो मेसर्स राजा बलन्द शर्कर फैक्ट्री, रामपुर नाम से जाना जाता है, में विनिर्मित चीनी की बाबत उत्पादन की मात्रा में सारखान गिरावट होने की संभावना है और, जिसके लिए देश में विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई प्रीविलिज नहीं है;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ऐसी रीति से किया जा रहा है जो चीनी उद्योग और लोक हित के लिए अहितकर है;

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मामले की परिस्थितियों का पूर्णरूपेण अन्वेषण करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से गठित व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है, अर्थात् —

- (1) श्री पी० के० रे०,

संयोजक

सहायक निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्था,
कानपुर।

- (2) श्री जी० पी० सेठ, सदस्य
कार्यकारी गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ (उ० प्र०)
- (3) श्री पी० आर० विश्वास, सदस्य
लागत सेवाधिकारी, शर्करा एवं वनस्पति
निदेशालय, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास
और सहकारिता मंत्रालय, (खाद्य विभाग)
नई दिल्ली।

[सं० फा० 9(26) लाइक-पोल/70]

S.O. 3763/IDRA/15/70.—Whereas the Central Government is of opinion that there is likely to be a substantial fall in the volume of production in respect of sugar manufactured in the industrial undertaking known as Messrs Vishnu Pratap Sugar Works (Private) Limited, P.O. Raja-Bazar Khadda, District Deoria, for which, having regard to the economic conditions prevailing in the country, there is no justification;

And whereas the Central Government is further of the opinion that the said industrial undertaking is being managed in a manner highly detrimental to the sugar industry and to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of the following persons, namely:—

- (3) Shri P. R. Biswas, Cost Accounts Officer, Directorate of Sugar & Vanaspathi, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, (Department of Food) New Delhi—Convenor.
- (2) Shri G. P. Seth Cane Commissioner, Government of Uttar Pradesh, Lucknow (U.P.)—Member.
- (3) Shri P. R. Biswas, Cost Accounts Officer, Directorate of Sugar & Vanaspathi, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, (Department of Food), New Delhi—Member.

[No. F. 9(27)/Lic. Pol./70.]

K. D. N. SINGH, Jt. Secy.

का० आ० 3763, आई डी आर ए/15/70.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि औद्योगिक उपक्रम, जो मेसर्स विश्व प्रताप शर्करा वर्क्स (प्राइवेट) लिमिटेड पो० श्री० राजाबाजार खड्डा, जिला देवरिया के नाम से जाना जाता है, में विनिर्मित चीनी की बाबत उत्पादन की मात्रा में सारखान गिरावट होने की संभावना है और, जिसके लिए देश में विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई औचित्य नहीं है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ऐसी रीति से किया जा रहा है जो चीनी उद्योग और लोक हित के लिए अहितकर है ;

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मामले की परिस्थितियों का पूर्णरूपेण अन्वेषण करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से गठित व्यक्तियों का एक मिकाय नियुक्त करती है, अर्थात् :—

- (1) श्री ए० एल० एन० मूर्ती, संयोजक
निदेशक (चीनी नियंत्रण)
शर्करा एवं वनस्पति निदेशालय,

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास
और सहकारिता मंत्रालय,
(खाद्य विभाग),
नई दिल्ली ।

(2) श्री जी० पी० सेठ, सदस्य
गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ (उ० प्र०)

(3) श्री पी० आर० विश्वास, सदस्य
लागत लेखा अधिकारी,
शर्करा एवं वनस्पति निदेशालय,
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास
और सहकारिता मंत्रालय,
(खाद्य विभाग)
नई दिल्ली ।

[सं० फा०९(27) लाइक-फोस/70]

के० डी० एन० सिंह,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।